झारखण्ड राज्य बिवरेज़ेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची

(झारखण्ड सरकार का उपक्रम)

कॉर्पोरेट पहचान सं० –U51228JH2010SGC014519, TIN No - 20520108277

उत्पाद भवन, भूतल, नवीन पुलिस केद्र के समीप, काँके रोड, राँची – 834008

E-mail :- jsbcl.jharkhand@gmail.com

ई– आमंत्रण पत्रांक सं०–.JSBCL/ 03 दिनांक :– 15/02/2023

इच्छा की अभिव्यक्ति हेतू अति अल्पकालिन ई–आमंत्रण सूचना

झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची			
गोदाम हेतू इच्छा की अभिव्यक्ति हेतू अल्पकालिन ई–आमंत्रण सूचना			
क्र0सं0	विवरणी	अभ्युक्ति	
1.	गोदाम का क्षेत्रफल	(30,000 वर्गफीट से 40,000 वर्गफीट तक)	
2.	गोदाम का स्थल / प्रक्षेत्र	वांछित गोदाम	संख्या
		गिरिडीह जिला में	1
		पूर्वी सिंहभूम जिला में	1
3.	इच्छा की अभिव्यक्ति के प्रपत्र को वेवसाईट **https://jharkhandtenders.gov.in** एवं **http://jsbcl.in** पर अपलोड करने की तिथि	15/02/2023	
4.	इच्छा की अभिव्यक्ति को ऑनलाईन **https://jharkhandtenders.gov.in** के माध्यम से जमा करने की प्रारंभिक तिथि	16/02/2023	
5.	इच्छा की अभिव्यक्ति को Online रूप से जमा करने की अंतिम तिथि	22/02/2023 के अपराह्न 4:00 बजे तक	
6.	इच्छा की अभिव्यक्ति के कागजात को भौतिक रूप से निगम मु० में जमा करने की अंतिम तिथि	22/02/2023 के अपराह्न 6:00 बजे तक	
7.	इच्छा की अभिव्यक्ति को ऑनलाईन खोलने की तिथि	23/02/2023 के अपराह्न 04:00 बजे	

नोटः– (1) इच्छा की अभिव्यक्ति की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु **https://jharkhandtenders.gov.in** एवं **http://jsbcl.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।

(2) इच्छा की अभिव्यक्ति हेतू आवेदन ऑनलाईन **https://jharkhandtenders.gov.in** माध्यम से ही स्वीकार की जायेगी एवं इसकी भौतिक प्रति राँची स्थित झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड मुख्यालय में जमा की जानी है।

15/2/23

महाप्रबंधक (संचालन)

झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड,

राँची

झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची

(झारखण्ड सरकार का उपक्रम) -152-

कॉर्पोरेट पहचान सं0 –U51228JH2010SGC014519, TIN No - 20520108277

उत्पाद भवन, भूतल, नवीन पुलिस केद्र के समीप, काँके रोड़, राँची – 834005

E-mail :- jsbcl.jharkhand@gmail.com

इच्छा की अभिव्यक्ति

(1) झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची झारखण्ड सरकार का एक लोक उपक्रम है। **''झारखंड उत्पाद (मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री), नियमावली, 2022''** के तहत JSBCL को संचयकर्त्ता के रूप में मदिरा का भण्डारण का दायित्व प्रदान किया गया है। जिसके द्वारा झारखण्ड राज्य में मदिरा के स्टॉक प्रबंधन हेतू गोदाम की आवश्यक्ता है। जिसके लिए झारखण्ड राज्य अन्तर्गत गिरिडिह एवं पूर्वी सिंहभूम जिला में निजी गोदाम को किराए पर लिए जाने की आवश्यकता है। अतः निम्नलिखित स्थानों के लिए आवश्यक विशिष्टियों के अनुरूप मासिक किराए पर गोदाम लेने हेतु विहित प्रपत्र अनुसूची 'अ' में प्रस्ताव आमंत्रित की जाती है :–

➢ जिलावार भण्डारण क्षमता के अनुसार गोदामों की विवरणी निम्नवत है :–

क्र0सं0	**जिला का नाम जहाँ गोदाम की आवश्यकता है**	**गोदाम की भण्डारण क्षमता वर्गफीट में**		**कार्यालय का क्षेत्रफल दो कमरा 12' x 10' एवं एक हॉल 12' x 15'**
		संख्या	**भण्डारण क्षमता**	
1	2	3	4	5
1	गिरिडिह जिला के लिए	1	लगभग 30,000–40,000 वर्गफीट	–वही–
2	पूर्वी सिंहभूम जिला के लिए	1	लगभग 30,000–40,000 वर्गफीट	–वही–

(2) इच्छा की अभिव्यक्ति प्रपत्र का मूल्य रू0 5000/– (पांच हजार) जो कि Demand Draft in Favour of **Jharkhand State Beverage Corporation Limited** payable at **Ranchi** के नाम से बनाकर निविदा प्रपत्र की भौतिक प्रति के साथ जमा करना होगा।

(3) आवेदक को प्रस्ताव एवं आवेदन प्रपत्र के साथ सुरक्षित जमा के रूप में संलग्न सूची के रूप में वर्णित दर के अनुसार किसी शिडयूल्ड/राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारण्टी जिसकी मान्यता कम से कम एक वर्ष हो, जमा करना अनिवार्य है। प्रस्ताव एवं आवेदन प्रपत्र ऑनलाईन **https://jharkhandtenders.gov.in** के माध्यम से तथा उसकी भौतिक प्रति सील बन्द लिफाफा में झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची के कार्यालय में निर्धारित समय के अन्दर समर्पित करना होगा। प्राप्त प्रस्तावों को प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोला जायेगा।

(4) आवेदन प्रपत्र, इच्छा की अभिव्यक्ति, एकरारनामा झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0 के बेवसाईट **https://jharkhandtenders.gov.in** एवं **http://jsbcl.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।

(5) निगम को एक या सभी प्रस्ताव एवं आवेदन को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।

(6) एकरारनामा के शर्त्तों का अनुपालन उभय पक्ष के लिए अनिवार्य होगा। उभय पक्ष किसी भी समय एकरारनामा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे लेकिन इसके लिए कारण के साथ दूसरे पक्ष को तीन माह पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा।

(7) इच्छा की अभिव्यक्ति स्वीकृति के पूर्व निगम अपने माध्यम से संबंधित गोदाम परिसरों का भौतिक सत्यापन कर गुण–दोष के आधार पर निर्णय लेने के सक्षम होगा। इस संबंध में प्रबंध निदेशक द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

(8) दिनांक 01.03.2023 को गोदाम झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को इस्तेमाल करने की अवस्था में उपलब्ध कराना होगा।

<u>गोदाम हेतु प्राथमिकताएँ</u>

(A)

(i) मुख्य सड़क से गोदाम तक जाने वाली सड़क चौड़ी हो जिससे गोदाम तक ट्रकों का आवागमन सुगमता से हो।

(ii) गोदाम परिसर में कम–से–कम 15–20 ट्रक आसानी से लग सके।

(iii) किराया गोदाम एवं कार्यालय के कॉरपेट एरिया का दिया जाएगा। गोदाम परिसर के अंदर खुला स्थान का किराया देय नहीं होगा। किराया Advance में देय नहीं होगा।

(iv) जेनरेटर रखने हेतु एक रूम (साईज 10 x 10) हो।

(v) गोदाम खाली एवं विवादरहित होना चाहिए।

(vi) गोदाम अग्निशमन मानकों के अनुरूप हो तथा अग्निशमन की वैधानिक औपचारिकतओं को पूरा करना होगा।

(vii) किरायानामा दस्तावेज का निबंधन एवं स्टाम्प शुल्क का भुगतान गोदाम मालिक को करना होगा।

(viii) गोदाम नो इन्ट्री जोन से बाहर हो।

(ix) गोदाम का मालिकाना, शराब निर्माणकर्त्ता एवं आपूर्त्तिकर्त्ता तथा खुदरा विक्रीकर्त्ता और उनके नजदीकी सगा संबंधी का नहीं होना चाहिए।

(x) गोदाम परिसर सुरक्षा दृष्टिकोण चाहरदीवारी से एवं चाहरदीवारी कॅटिले तार युक्त घिरा होना चाहिए।

(xi) वैसे प्रस्ताव के साथ जिसमें निजी भूमि पर गोदाम बना कर दिया जाना प्रस्तावित हो, के लिए भूमि का विवरण दस्तावेज एवं अद्यतन लगान रसीद तथा मानचित्र देना होगा।

(xii) वैसे प्रस्ताव के साथ जिसमें बने हुए गोदाम को किराया पर दिया जाना प्रस्तावित हो, अगर आवश्यकता हो तो सक्षम प्राधिकार से स्वीकृत नक्शा की प्रति देना होगा।

(xiii) निर्मित एवं मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ गोदाम को प्राथमिकता दी जाएगी।

(xiv) कार्यालय के लिए लगभग 12’X10’ वर्गफीट का दो कमरा एवं 12’X15’ का एक हॉल होना आवश्यक है।

(xv) गार्ड रूम के लिए लगभग 12’X10’ वर्गफीट का एक कमरा होना आवश्यक है।

(xvi) गेट पर चेक पोस्ट होना आवश्यक है।

(B)

(i) गोदाम निम्न सार्वजनिक स्थलों के 500 मी0 की परिधि के भीतर अवस्थित नहीं होनी चाहिए :–

i. विस्फोटक सामग्री भंडारण स्थल

ii. ऐतिहासिक धरोहर स्थल या क्षेत्र

iii- गोदाम निर्माण/सभी तरह से पूर्ण होने तक के लिए कोई अग्रिम राशि नहीं दी जाएगी।

iv- गोदाम के वर्त्तमान मालिक भी अतिरिक्त क्षेत्रफल के लिए इच्छा की अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते है वशर्त्ते इच्छा की अभिव्यक्ति प्रक्रिया पूरी होने तक गोदाम निर्मित अवस्था में होनी चाहिए।

(ii) अपेक्षाकृत चौड़ी सड़क पर अवस्थित गोदाम, जहाँ अग्निशमक दल के पहुँचने में सुगमता हो, को समतुल्य कम चौड़ी सड़क पर अवस्थित गोदाम की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी।

(iii) ऊँचे स्थल पर अवस्थित गोदाम को समतुल्य कम ऊँचे एवं बाढ़ एवं वर्षाजनित जल–जमाव से प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित गोदाम की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी।

(iv) अग्निरोधी सामग्रियों से निर्मित गोदाम को प्राथमिकता दी जाएगी।

(v) गोदाम परिसर बड़े व्यवसायिक वाहनों के प्रवेश योग्य होने चाहिए ।

(vi) गोदाम परिसर ऑनलाईन नेटर्वक के लिए ब्रौडबैंड सुविधा प्राथमिकता के आधार पर तथा अन्य कोई भी नेटर्वक की उपलब्धता अनिवार्य है। विपत्र का भुगतान गोदाम के कब्जा लेने की तिथि से भुगतेय होगा।

(vii) किसी भी स्वामित्व आदि से संबंधित विवाद/न्यायालय में वाद हुआ तो झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0 गोदाम निर्धारित तिथि से खाली कर देगा। उसके लिए कोई क्षतिपूर्त्ति देय नहीं होगा।

(viii) गोदाम में बिजली, पानी, शौचालय आदि की मूलभूत सुविधाएँ होनी आवश्यक हैं।

(ix) शराब Loading-Unloading हेतु Platform लगभग 3 फीट का होना आवश्यक है।

(x) भविष्य की आवश्यकतानुसार गोदाम की मरम्मति एवं निर्माण कराना आवश्यक होने की स्थिति में गोदाम की मरम्मति एवं निर्माण का कार्य गोदाम मालिक द्वारा नहीं किये जाने की स्थिति में निगम द्वारा व्यय कर मासिक किराये में समायोजन कर लिया जायेगा।

(xi) गोदाम का बीमा उसके मालिक के द्वारा कराया जाना होगा।

(xii) निगम द्वारा आवश्यक्तानुसार नियम एवं शर्त्तों में परिवर्त्तन किया जा सकता है।

आवेदकों के द्वारा विभिन्न जिलों हेतु गोदामों के लिए निर्धारित सुरक्षित जमा राशि का विवरण :–

क्र0सं0	जिला का नाम जहाँ गोदाम की आवश्यकता है	सुरक्षित जमा राशि (रूपये में)
1	गिरिडिह जिला के लिए	1,00,000.00
2	पूर्वी सिंहभूम जिला के लिए	1,00,000.00

ह0/-

महाप्रबंधक (संचालन)
झारखण्ड राज्य बिवेरेजेज कॉरपोरेशन
लि0, राँची।

अनुसूची 'अ'

"आवदेन पत्र का प्रारूप"

झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0 को देशी/विदेशी शराब भण्डारण हेतु गोदाम किराये पर देने की इच्छा की अभिव्यक्ति प्रपत्र।

स्थान का नाम (जहाँ गोदाम अवस्थित है) ....

विवरण निविदादाता द्वारा भरा जाना है।

क्र0सं0	विवरण	विवरण निविदादाता द्वारा भरा जाना है।
1	गोदाम मालिक का नाम, पूरा पता तथा फोन/फैक्स नम्बर PAN एवं I.D Proof के साथ	
2	गोदाम के मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज (Land receipt/Agreement/Sale deed/etc.)	
3	क्या पूर्व में गोदाम राजकीय/किसी निगम को किराये पर देने का अनुभव है (कृपया सबूत के लिए दस्तावेज की प्रति संलग्न करें)।	
4	क्या निविदादाता राजकीय उपक्रम/पी0एस0यू0/पब्लिक/लिमिटेड कम्पनी/प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी/पार्टनरशिप फर्म/अन्य .... है। कृपया उल्लेख करें।	
5	निविदादाता का **PAN** नम्बर (कृपया सबूत के लिए दस्तावेज की प्रति संलग्न करें)।	
6	गोदाम का पूर्ण पता	
7	प्लॉट का साईज .... फुट गुणा .... फुट .... वर्ग फुट	
8	Covered एरिया का साईज .... फुट गुणा .... फुट, जहाँ भण्डारण करना है .... वर्ग फुट	
9	गोदाम की बाउन्डरी के अंदर पार्किंग एरिया .... फुट गुणा . ... फुट .... वर्ग फुट	
10	गोदाम की बाउन्डरी के बाहर पार्किंग एरिया .... फुट गुणा .... फुट .... वर्गफुट	
11	मुख्य मार्ग से गोदाम के मुख्य द्वार तक तथा गोदाम के मुख्य द्वार से भण्डारण रोड़ को जोड़ने वाली सड़क की प्रकृति एवं चौड़ाई (फीट में)	
12	गोदाम की नगर निगम/नगरपालिका/नगर पंचायत सीमा से दूरी कि0मी0 में	
13	अन्य उपलब्ध कमरों की संख्या तथा उनकी साईज वर्ग फुट में प्रत्येक कमरे की पृथक–पृथक देवें।	
14	गोदाम परिसर में पेयजय, शौचालय, जल स्रोत एवं विद्युत कनेक्शन की समुचित व्यवस्था	ट्यूबवेल/जलदाय विभाग/अन्य ....
15	गोदाम में ज्वलनशील पदार्थ हेतु अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था का ब्यौरा	
16	निविदादाता द्वारा आयकर एवं वाणिज्य कर जमा करने सम्बन्धित स्वच्छता प्रमाण पत्र	

गोदाम मालिक या प्राधिकृत व्यक्ति का
हस्ताक्षर एवं दिनांक

नोट :– हाँ/ना, जहाँ भी प्रयुक्त हो रहा है, उनमें जो लागू हो उसे भरना है। जहाँ एक से ज्यादा विकल्प है वहाँ जो विकल्प लागू हो उसे टिक करना है।

इच्छा की अभिव्यक्ति हेतू प्रस्तावित दर

क्र०	गोदाम मालिक का नाम	गोदाम का पता	गोदाम का क्षेत्रफल	दर प्रति वर्ग फुट (सभी कर सहित)	कुल राशि
1	2	3	4	5	6= 4*5